



समक्ष, श्री अवनी कान्त शर्मा, नोटरी अधिवक्ता नोटरी महोदय, गुमला ।
शापथपत्र



मैं रथी देवी पति श्री रमेश उराव उग्र 45 वर्ष निवासी ग्राम चेटर अमृतनगर गुमला
वार्ड नं० 13 थाना व जिला गुमला, झारखण्ड शापथपूर्वक ध्यान करती हूँ कि:-

1. यह कि उपरोक्त पता की स्थायी निवासी हूँ ।
2. यह कि मेरा बत्तियानी/खरीदगी जमीन मौजा चेटर थाना व जिला गुमला थाना नं० 47 अन्तर बाता नं० 05 प्लॉट नं० 583 कुल रकबा 0.08 ए० जमीन अवस्थित है । जिसमें मैं शांतिपूर्वक दखलदार रक्कर मालगुजारी रसीद हर साल कटाती हूँ जिसमें नक्शे के आधार पर मकान बनवाना चाहती हूँ ।
3. यह कि गुमला नगर परिषद गुमला के अधिनियम 427 & 3 झारखण्ड म्युनिसिपल कोरपोरेशन 2011 के तहत सड़क चौड़ीकरण हेतु 22.34 वर्गमीटर जमीन छोड़कर मकान का चाहरदीवारी बनाऊंगी ।

रथी देवी

सत्यापन

मैं रथी देवी तसदीक करती हूँ कि उपर लिखा कुल ध्यान मेरे जानकारी में सही, सच वी कुस्त है मोकाम गुमला ।

रथी देवी

आज दिनांक 28/8/18 को मेरे समक्ष - रथी देवी
ने शापथग्रहण किया जिनका पदधान श्री- क० अ०
अधिवक्ता ने किया है ।

क्रम सं० :- 28/8/18
- 854/18

नोटरी, जिला-गुमला ।